न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

आशीष गुप्ता
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.147/प्रा.पत्र/2018 (GCMS No. 2018/00383)	30.05.2018	16.09.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

मोडू आ. कल्याण जाति कुम्हार,
निवासी ग्राम संगावदा,
तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से श्री मुकेश जोशी, एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी मोडू आ. कल्याण जाति कुम्हार, निवासी ग्राम संगावदा, तहसील बून्दी को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 105 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा वाकेग्राम संगावदा, आवंटन आदेश दिनांक 23.12.1988 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थना पत्र के संलग्न प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को वास्ते जवाब जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 15.09.2020 को जवाब पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर; बून्दी

बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी को दिनांक 23.12.1988 को आवंटन की गई थी, आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, मौके पर आवंटित भूमि पर वर्तमान में रास्ता है। आवंटी द्वारा आरक्षित मूल्य भी जमा नहीं करवाया गया है। जिस कारण आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित है। ऐसे में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की जावें।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि आवंटी को निर्धारित कौरम एवं आवंटन अधिकारी द्वारा ग्राम संगावदा की खसरा संख्या 105 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा भूमि आवंटन किया गया है। आवंटी आवंटन से लेकर आदिनांक तक उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। आवंटी द्वारा कोई गलत सूचना नहीं दी गई और ना ही मिथ्या शपथ पत्र आदि पेश कर या तथ्यों को छिपा कर धोखा दिया है। आवंटित भूमि पर रास्ता होने का तथ्य अस्वीकार है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस पर गहनता से मनन किया। आवंटी मोडू आ. कल्याण जाति कुम्हार, निवासी ग्राम संगावदा को मिसल संख्या 4/1988 पर दिनांक 23.12.1988 को भूमि खसरा संख्या 105 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा वाकेग्राम संगावदा का आवंटन किया जाना प्रकट है। संलग्न आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन हेतु (चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1957 के तहत आवेदन किया गया। आरक्षित मूल्य 1220/– जमा करवाये जाने की शर्त पर उक्त नियमों के तहत आवंटी को उक्त भूमि का आवंटन किया गया। इस प्रकार उक्त भूमि कमाण्ड क्षेत्र में स्थित होने से अनकमाण्ड क्षेत्र के कृषि भूमि आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। ऐसे में कमाण्ड क्षेत्र की भूमि पर चम्बल परियोजना क्षेत्र के नियमों के तहत आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही पेश नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी नियमान्तर्गत नहीं है, जो अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपूर्ण होने से अस्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को मूल आवंटन पत्रावली लौटाकर निर्देश दिये जाते है कि आवंटित भूमि पर आवंटी के कब्जा काश्त के संबंध में मौका रिपोर्ट, आवंटी द्वारा आरक्षित मूल्य जमा होने या राशि बकाया होने बाबत स्पष्ट रिपोर्ट सहित प्रकरण राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1957 के तहत तैयार कर भिजवाये जाने पर ही प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही की जा सकेगी।

आदेश आज दिनांक 16.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर, बून्दी